स्पीड पोस्ट से

फा. सं. ए.45011/1/2019-सीएचएस-VI

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीएचएस प्रभाग)

...

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांकः 24 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

****

विषयः वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) प्रस्तुति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय से संबंधित इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.32012/4/2016-सीएचएस-III दिनांक 15.12.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर ध्यान दिलाते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत बहुत से सीएचएस और दंत चिकित्सकों की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आईपीआर प्रस्तुत न करने से सतर्कता क्लीयरेंस, पैनलबद्धता, प्रतिनियुक्ति, संवेदी/उच्च पदों के लिए आवेदन देने और प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनिवार्य प्रशिक्षण को छोड़कर) विदेश गमन इत्यादि के लिए मना किया जा सकता है क्योंकि कथित प्रयोजनों के लिए आईपीआर की स्थिति चैक की जाती है।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत सभी सीएचएस और दंत चिकित्सकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वर्ष 2018 के वार्षिक आईपीआर अर्थात 31.12.2018 की विवरणी अधिक से अधिक 31.01.2019 तक प्रस्तुत करें। 31.01.2019 के पश्चात प्रस्तुत की गई वार्षिक आईपीआर उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित प्रयोजनों के लिए विचारणीय नहीं होंगी। उक्त आईपीआर संबंधित अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर भी प्रस्तुत की जाएं।

(i) sochs2-mohfw@gov.in (जीडीएमओ उप-संवर्ग)

(ii) chs3-mohfw@nic.in(ई-शिक्षण और लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग)

(iii) sochs3-mohfw@gov.in (गैर-शिक्षण उप-संवर्ग)

(iv) chs6healthministry@gmail.com(दंत चिकित्सक)

3. सभी प्रतिभागी एककों के अध्यक्षों से अनुरोध किया जाता है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को व्यापक स्तर पर संबंधित की सूचना के लिए परिचालित किया जाए।

सरिता नायर

(सरिता नायर)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स नं.-23063068

प्रतिः

1. सभी सीएचएस के प्रतिभागियों एकक (अनुलग्नक-i के अनुसार)